रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 776] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2000/अग्रहायण 7, 1922

No. 776] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2000/AGRAHAYANA 7, 1922

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2000

का. आ. 1066(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे संलग्न अनुसूची, जिसमें विवाद से संबंधित या विवाद से जुड़े या विवाद से संगत मामले हैं, में उल्लिखित मामलों के संबंध में प्रमुख पत्तनों के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोक्ताओं और श्रमिक संघों के पांच परिसंघों द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद मौजूद है और इस विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न समाहित है और इसकी प्रकृति ऐसी है कि एक राज्य से अधिक में स्थित पत्तनों के प्रतिष्ठान की रूचि इस विवाद में है या इस विवाद से इस प्रतिष्ठान के प्रभावित होने की संभावना है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त विवाद का न्याय-निर्णयन एक राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा किया जाए;

अत: अब केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय कलकत्ता के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति बी.पी. शर्मा को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण में निर्दिष्ट करती है;

अनुसूची

"प्रमुख पत्तनों के प्रबंधन और पांच परिसंघों के बीच दिनांक 2-8-2000 को सम्पन्न हुए समझौते के खंड 35 में समाविष्ट उपबंधों के प्रति सम्मान रखते हुए,—

(i) क्या जहाज माल (कारगो आन बोर्ड) से संबंधित किसी कार्य को संभालने और किनारे पर (आन शोर) निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर (निड बेस्ड सिस्टम) कामगार समूह की तैनाती करने में परिवर्तन किया जाना चाहिए या संभाले जाने वाले जहाज माल की किस्म और कुछ प्रमुख पत्तनों मे चल रही कामगारों की नोशनल बुकिंग पद्धति को बन्द किया जाना चाहिएं। यदि ऐसा है, तो विभिन्न पत्तन कार्यकलापों के लिए जनशक्ति मापक अपेक्षित मानदंड क्या होने चाहिएं?

(ii) क्या सभी पत्तनों पर एक जैसी किस्म के पोतों/उपस्करों पर जनशक्ति मापक मानदंड एक जैसे होने चाहिएं। यदि ऐसा है, तो क्या सभी पत्तनों के लिए विद्यमान निम्नतम जनशक्ति मापक के आधार पर मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिएं।

(iii) क्या एक ही जैसे कार्यों के लिए जनशक्ति मानदंडों में एकरूपता होनी चाहिए, यदि ऐसा है तो क्या सभी प्रमुख पत्तनों में विद्यमान निम्नतम जनशक्ति मापक के आधार पर मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिएं।"

[सं. एल-30011/15/2000-आई आर (विविध)]

पद्मा बालासुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 14th November, 2000

S. O. 1066(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that an Industrial dispute exists between the employers in relation to the management of major ports and their workmen represented by Five Federations of Trade Unions operating therein in respect of the matters prescribed in the Schedule hereto annexed which are either matters in dispute or matters connected therewith or relevant to the dispute and that the dispute involves question of national importance and also is of such nature that the establishments of ports situated in more than one State are likely to be interested in or affected by such disputes;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said dispute should be adjudicated by a National Tribunal;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 7B of the ID Act, 1947 (14 of 1947), hereby constitutes a National Industrial Tribunal with headquarters at Calcutta and appoints Justice B.P. Sharma, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Calcutta as the Presiding Officer, and in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1A) of Section 10 of the said Act, hereby refers the said industrial dispute to the National Industrial Tribunal for adjudication;

THE SCHEDULE

"Having regard to the provisions contained in clause 35 of the settlement dated 2-8-2000 between the 5 Federations and the management in relation to major ports.

(i) Whether deployment of workers for any task for the handling of cargo on board and on shore on the basis of gangs should be changed to the needbased system depending on the nature of the job to be performed or the type of cargo to be handled and; system of notional booking of workers prevalent in some major ports should be discontinued. If so, what should be the manning scales required for various port activities?

(ii) Whether the manning scales for similar types of vessels/equipments should be uniform at all ports. If so, whether the norms should be fixed for all ports as per the lowest manning scale in existence.

(iii) Whether, for similar tasks, there should be uniform manning scales. If so, whether the norms should be fixed on the basis of the lowest manning level in existence in major ports".

[No. L-30011/15/2000-IR (Misc)]

PADMA BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.